न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार शर्मा, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या 58/2016
उनवानः प्रभू लाल बनाम राजेश कुमार
निर्णय दिनांक : 11.01.2018

1. प्रभू लाल पुत्र श्री लादूराम मीना जाति मीना निवासी ग्राम सवाई गैटोर, तहसील सागानेर, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम जीतावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीनारायण शर्मा निवासी ग्राम जीतावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।
2. सब रजिस्टार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर राज.।

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिम 1955

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद पत्र बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सयुंक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 246/1/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा ग्राम जीतावाला, तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। आराजी उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा जिसे वाद पत्र में सलंग्न नक्शे में दिखाया है और नक्शा वाद पत्र का अभिन्न अंग है। जिसका वैधानिक रूप से अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति व मनबट से भूमि को हिस्से अनुसार बांट रखा हैं तथा मनबट से किये बटवारें के अनुसार वादी पश्चिम दक्षिणी भाग की तरफ के अपने 2/3 हिस्से की भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते चले आ रहे है एवं लगान भी हिस्से अनुसार शामिल में ही अदा करते चले आ रहे है। वादी ने आपसी मनबट से आये अपने हिस्से की भूमि पर सिंचाई हेतु बोरिंग लगा रखा है एवं काश्त कर उपयोग उपभोग करता चल आ रहा है इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 भी अपनी हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। परन्तु कुछ समय से प्रतिवादी नम्बर 1 आपसी मनबट को मानने व उसके अनुसार कब्जेकाश्त में चली आ रही भूमि पर काश्त करने से इन्कार करने लगे है तथा वादी के कब्जे काश्त में नाजायज रूप से दखल करने लगे है तथा वादी को उसके कब्जे व खातेदारी की बांटे की भूमि में काश्त नहीं करने देने की धमकी देते है। दिनांक 06/04/2012 को जब वादी अपने हिस्से की भूमि पर की गई फसल को संभालने गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को स्पष्ट कहा कि अब की बार वह इस जमीन पर काश्त नहीं करने देंगे। जब वादी ने पूर्व से चले आ रहे बटँवारे के अनुसार विभाजन कराने को कहा तो प्रतिवादीगण बंटवारा कराने से भी इंकार हो गये व भूमि के विशिष्ट भाग को विक्रय करने की ऐलानियां धमकी दी तथा कहा कि प्रार्थी की फसल भी हम ही काटकर ले जायेगें। प्रतिवादीगण की उक्त बेजा हरकतों के कारण वादी को दावा दायर कर अपने हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाण्डस् सरस नरस के आधार पर विभाजन कराकर खाता अलग कायम कराना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी से रंजिश

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

रखता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी से मिल हुये है इसीलिये वादी को आये दिन हैरान परेशान करते है एवं फसल बोने व काटने में बाधा उत्पन्न कर वादी को नुकसान पहुंचाते है। यही नहीं दिनांक 06/04/2012 को वादग्रस्त भूमि पर काश्त नहीं करने देगे तथा भूमि के विशिष्ट भू–भाग को बिना विभाजन करवाये ही किसी अन्य को बेचान करेगें तथा भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण करेगे जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा कहने व करने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि वादी अधिकारी है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के कब्जे काश्त की भूमि में नाजायज दखल करने व विशेष भू–भाग का बिना विभाजन कराये विक्रय नहीं करने हेतु एवं निर्माण न करने हेतु पाबन्द करवा दे तथा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में नाजायज दखल करने विशिष्ट भू–भाग को बिना विभाजन कराये विक्रय करने की कार्यवाही करने की धमकी देने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना जरूरी हुआ। वाद कारण दिनांक 06/04/2012 को उत्पन्न होकर उसके पश्चात् दिन–प्रतिदिन उत्पन्न होता चला आ रहा है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् विभाजन डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 246/1/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा ग्राम जीतावाला, तहसील बस्सी का पूर्व से चले आ रहे मनबट के अनुसार वादी के वाद पत्र में संलग्न नक्शे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् 2/3 हिस्से की भूमि का पर्चा खातेदारी व लगान पृथक कायम किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावें। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि वह वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 246/1/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा में वादी के कब्जे काश्त व काश्त कार्य में किसी प्रकार का दखल नहीं करें न ही भूमि का विक्रय एवं हस्तान्तरण करे व इसके किसी भी भाग पर पुख्ता निर्माण न करें तथा विभाजन के पश्चात् वादी को मिली भूमि में किसी प्रकार का दखल न करें। न ही अनाधिकृत रूप से प्रवेश करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलवी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावे में कथन किया की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 246/1/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा ग्राम जीतावाला में 1/3 हिस्सा एवं उक्त भूमि को पहले प्रतिवादी संख्या 1 ने खरीदी है तथा बाद में वादी ने खरीदी है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से पर पूर्व से काबिज है। प्रतिवादी ने कभी भी वादी की कब्जे काश्त की भूमि में दखल नहीं दी, ना ही वादी को काश्त करने की धमकी दी। वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार आपस में सहमति के आधार पर व हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन कर अपने–अपने हिस्से पर काफी वर्षो से काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब में यह भी कथन किया कि केवल मात्र लगान व राजस्व रिकार्ड में विभाजन नहीं किया गया है। आपसी सहमति व कब्जे के अनुसार पक्षकारान ने अपने हिस्से का जो बंटवारा कर रखा है। उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड व लगान में बंटवारा करने में प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावे को संलग्न पत्रावली किया गया है।

कैम्प कोर्ट राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में दिनांक 07/06./2017 को ग्राम जीतावाला में वाद पेश हुआ। जिसमें वादी उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। लोक अदालत कि भावना से प्रतिवादी के इकबालिया बयानों के आधार पर वादग्रस्त आराजी ग्राम जीतावाला में स्थित खसरा नम्बर 309/246 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बस्सी को बंटवारा प्रस्ताव भिजवानें हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बस्सी के पत्र क्रमांक आई.एल.आर/17/3829 दिनांक 13/09/2017 से बंटवारा प्रस्ताव/कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 27/11/2017 को कुरेजात पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने कुरेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र में कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा जो कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई है, उसकी सूचना मुझ प्रार्थी को नहीं दी गई एवं मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार तैयार नहीं की गई। तथा पुनः

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया की दिनांक 01/09/2017 को पहले सूचना देकर एवं हल्का पटवारी व सर्किल गिरदावर वादग्रस्त भूमि पर उपस्थित हुये तथा प्रतिवादी स्वयं राजेश कुमार भी वादग्रस्त भूमि पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करते समय मौके पर मौजूद रहा तथा प्रतिवादी राजेश कुमार की मौजूदगी में तहसीलदार बस्सी के आदेशानुसार कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई, जिससे स्वयं प्रतिवादी भी सहमत था लेकिन हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। उक्त कुरेजात रिपोर्ट जो न्यायालय में प्रस्तुत हुई है वह मौके की स्थिति व बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर तैयार की गयी है जो किसी भी तरह वादी को लाभ एवं प्रतिवादी को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से तैयार नहीं की गयी है बल्कि कानूनसम्मत है। उक्त कुरेजात रिपोर्ट से मैं सहमत हूँ।

हमने वादी की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति होने पर एक तरफा बहस सुनी। न्यायहित में प्रार्थी प्रतिवादी की आपत्ति एवं वादी के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की आपत्ति तथ्यपरक नहीं होकर प्रक्रियात्मक ज्ञात होती है। प्रार्थी द्वारा उसके लिए प्रस्तावित भूमि जो कुरेजात में नीले रगं से दर्शाई है, को लेने में कोई भी आपत्ति पेश नहीं की गई है और न ही इससे भिन्न जगह पर अपने कब्जे का कथन किया गया है। कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी की आपत्ति सारहीन व तथ्यहीन ज्ञात होती है क्योंकि कुरेजात रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि राजेश कुमार मौजूद है, ने हस्ताक्षर करने से मना किया अर्थात प्रार्थी प्रतिवादी को सूचना थी तथा मौके पर मौजूद था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की आपत्ति खारिज योग्य ज्ञात होती है साथ ही प्रार्थी प्रतिवादी का हिस्सा 1/3 होने के बावजूद उसे 2/3 हिस्से का फ्रन्ट सड़क पर तथा अप्रार्थी वादी को 2/3 हिस्सो के बावजूद 1/3 हिस्से का फ्रन्ट सड़क दिया गया है फिर भी प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा आपत्ति करना आश्चर्यजनक होने के साथ ही न्यायोचित प्रतीत्त नहीं होता है जिससे प्रार्थी प्रतिवादी की आपत्ति खारिज की जाती है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद बाबत विभाजन मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:–

क्र. सं	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	लगान
1	प्रभूलाल पुत्र लादूराम हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. सवाई–गेटोर तहसील सांगानेर प्रभूलाल पुत्र स्व. लादूराम हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. ग्राम गिरधारीपुरा तहसील बस्सी	330 246	11.04	7
		किता 1	11.04	7
2	राजेश कुमार पुत्र बद्रीनारायण राहिन ज.जि. सह.भू. वि. बैंक लि. जयपुर मूर्तहीन जाति हरि. ब्रा.सा.देह।	309 246	5.12	3
		किता 1	5.12	3

उपरोक्तानुसार वादग्रस्त आराजियात का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। साथ ही बंटवारे के अनुसार मौके पर सीमा चिह्न कायम किये जावे। तहसीलदार बस्सी को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला–जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप खण्ड़ अधिकारी, मुकाम बस्सी, जिला जयपुर बइजलास
पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार शर्मा आर.ए.एस

वादी

1.प्रभू लाल पुत्र श्री लादूराम मीना जाति मीना निवासी ग्राम सवाई गैटोर, तहसील सागानेर, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम जीतावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादी

1. राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीनारायण शर्मा निवासी ग्राम जीतावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।
2. सब रजिस्टार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।

दावा विनाजन एवं स्थायी– निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 58/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे ..... वादी व. ..... प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू हमारे मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाकर है वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 309/246 रकबा 16 बीघा 16 वाके ग्राम जीतावाला पटवार हल्का जीतावाला मू–अभिलेख क्षेत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री कि जाती है:–

क्र. सं	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	लगान
1	प्रभूलाल पुत्र लादूराम हिस्सा 1/2 जाति मीना सा.नि.सवाई–गेटोर तहसील सॉगानेर प्रभूलाल पुत्र स्व. लादूराम हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. ग्राम गिरधारीपुरा तहसील बस्सी	330	11.04	7
		246		
		किता 1	11.04	7
2	राजेश कुमार पुत्र बद्रीनारायण राहिन ज.जि. सह.भ. वि. बैंक लि. जयपुर मूर्तहीन जाति हरि. ब्रा.सा.देह।	309	5.12	3
		246		
		किता 1	5.12	3

उपरोक्तानुसार वादग्रस्त आराजियात का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें। साथ ही बंटवारे के अनुसार मौके पर सीमा चिन्ह कायम किये जावें। तहसीलदार बस्सी को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवाई जाती है।

.....निजि.....मुबकिल.....बाबत.....खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.01.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिए दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार शर्मा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला–जयपुर